COURT FEE
COURT FEE
COURT FEE INDIA RUPEES
INDIA ONE RUPEE

BEFORE THE BOARD OF REVENUE AT GWALIOR

APPEAL CASE No. 205-II OF 2005

Laxman Prasad Shah, adutd,
S/o Shri Jaggonnath Prasad Shah
R/o Village Agariya Chopra
Teh. & Distt. Raisen

13

---- APPELLANT

VERSUS

1/ State of M.P.
Through Collector
District Raisen

2/ Friends Co-operative Society Limited Bhopal. Through
(i) P.M.Mathai S/o Shri Mathai
(ii) P.G.Zachaiah S/o Palukuzha George
(iii) Ninan Verghese S/o Kallunkal Ninan Verghese
R/oB.H.E.L.Bhopal
Gyan Singh S/o Hari Singh
R/oAnand Nagar, Bhopal

----RESPONDENT

APPEAL UNDER SECTION 4 (3) M.P. AGRICULTURE CEILING ACT 1960

Being aggrieved by order dated 31/3/1997 passed by the Sub-Divisional Officer-cum-Competent Authority, Raisen District Raisen in Ceiling case No. 1/A-90(b-3)/ 76-77, the appellants craves leave to file this appeal under following facts and grounds amongst other:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 205–दो / 2003 **जिला रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–01–2016	प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में अन्तरण नियत दिनांक 15–11–1961 के पश्चात् हुये हैं । चूँकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है, इसलिये नियत दिनांक के पश्चात् हुये अन्तरण का लाभ अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकता है । ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–1997 में हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत नहीं होगा, अतः सक्षम प्राधिकारी का आदेश दिनांक 31–3–1997 स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	